



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

3

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-शिवपुरी

पंजीरणी-5561/2018/शिवपुरी/शू.रा.

- 1 मंगल सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल
- 2 महेश पुत्र श्री बिहारीलाल
- 3 हरिशचन्द्र पुत्र श्री बिहारीलाल
निवासीगण- सेकरा तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)
- 4 पर्वत सिंह पुत्र श्री अंचल सिंह
निवासी - दवियाकला तहसील पिछोर जिला -
शिवपुरी (म.प्र.)
- 5 ममता पत्नी राजकुमार पुत्री रघुराज सिंह यादव
निवासी - ग्राम पचरा तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी म.प्र.
- 6 रामलली पत्नी कुवंरराज
- 7 आराम पत्नी कैलाश
- 8 प्रियंका पत्नी मोहर सिंह पुत्री रघुराज यादव
निवासी - ग्राम कुम्हरा तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी म.प्र.
- 9 शान्ती बाई पत्नी लालाराम यादव
निवासी - डौगा तहसील खनियाधाना जिला -
शिवपुरी म.प्र.
- 10 श्रीबाई पत्नी सीताराम
निवासीगण - डौगा गता झलकुई तहसील
खनियाधाना जिला - शिवपुरी म.प्र.
- 11 शीला पत्नी आशा राम सिंह यादव
निवासी - ग्राम शिमला तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी म.प्र.
- 12 सिरकुवंर पत्नी बिहारी लाल यादव
निवासी - सेकरा तहसील खनियाधाना जिला
- शिवपुरी म.प्र.
- 13 मिथलेश उर्फ मिथला पत्नी अमोल सिंह यादव
निवासी - पहाड़पुर तहसील खनियाधाना जिला
शिवपुरी म.प्र.
- 14 विद्यया पत्नी नरेश
निवासी - नया गांव तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी म.प्र.
- 15 भगवत पुत्र अंचल सिंह यादव
निवासी - दविया कला तहसील पिछोर जिला
- शिवपुरी म.प्र.
- 16 पुरखन पत्नी कन्हैया

शिवपुरी-18-9-18
शिवपुरी-18-9-18
शिवपुरी-18-9-18

शिवपुरी-18-9-18

18/9/18

र
ल
क
क
रिय
.08.
समय
न-पत्र
करण
ज्ञाल एवं
गावेदकगण
क
द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 5861 / 2018 / शिवपुरी / भू0रा0

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अगिभा आदि के हस्ताक्षर |
|--------------|--|--|
| 6-2-19 | <p>यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 404/69-70 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-4-1970 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत म0प्र0राजस्व मण्डल में दिनांक 8-10-18 को अर्थात् आदेश पारित करने के 47 वर्ष से अधिक अवधि बाद प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई-योग्य नहीं है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को प्रथमतः आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होगी। तदनुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से समाप्त की जाती है।</p> |  <p>सदस्य</p> |